कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:: परिपत्र ::–

इस कार्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 25.03.2012 द्वारा समान परीक्षा योजनान्तर्गत गृह परीक्षा एवं कक्षा–कक्षोन्नति नियमों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। समसंख्यक निर्देश परिपत्र दिनांक : 27.03.14 एवं 16.03.2016 द्वारा उक्त निर्देशों के संबंध में आंशिक संशोधन जारी किए गए हैं। उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र "परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम : 2011–12" के प्रावधानों के अनुप्रयोग में विभिन्न जिज्ञासाओं के समाधान/कठिनाईयों के निवारणार्थ समीक्षोपरान्त एतद् द्वारा स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं :–

1. कृपांक हेतु अधिकतम देय अंक की गणना :–

चूंकि प्रायोगिक परीक्षा में कृपांक देय नहीं होते हैं, अतः कृपांक के लिए देय अधिकतम अंक की गणना हेतु सम्बन्धित विषय के केवल सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के कुल पूर्णांकों को आधार माना जाएगा । **(मूल परिपत्र का बिन्दु संख्या – 5)**

2. पूरक परीक्षा हेतु पात्रता :–

I. जिन विषयों में सैद्धांतिक व प्रायोगिक, दोनों परीक्षाएं होती है, उनमें इसमें से किसी एक अथवा दोनों में परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा हेतु उसी स्थिति में पात्र घोषित किया जा सकेगा, यदि सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक परीक्षाओं, दोनों के प्राप्तांकों का कुल योग 25 प्रतिशत अथवा अधिक है। जिस प्रश्न पत्र (सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक) में परीक्षार्थी द्वारा 36 प्रतिशत अथवा अधिक अंक प्राप्त कर लिए जाएंगे, उस प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण प्राप्तांक के कारण पूरक परीक्षा में प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं होगी।

II. यदि किसी विषय में परीक्षार्थी के प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के प्राप्तांकों का कुल योग 25 प्रतिशत अथवा अधिक है, तो उस परीक्षार्थी को पूरक परीक्षा हेतु पात्र घोषित किया जा सकता है। पूरक परीक्षा के लिए पात्र घोषित किए जाने हेतु वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(मूल परिपत्र का बिन्दु संख्या – 7)

3. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी हेतु नवीन अंक तालिका :–

समसंख्यक परिपत्र दिनांक : 27.03.14 द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को पूरक परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुरूप नवीन अंक तालिका जारी किए जाने का प्रावधान है। पूरक उत्तीर्ण विषय एवं पूर्व से उत्तीर्ण विषयों के पूर्णांकों के अनुपात में प्राप्तांकों की समरूपता रखे जाने हेतु पूरक परीक्षा का प्रश्न–पत्र उस विषय में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक कुल पूर्णांकों के समान पूर्णांकों का बनाया जाना चाहिए तथा नवीन प्रगति पत्र में पूरक उत्तीर्ण विषय के प्राप्तांक उस विषय के विषय योग (कुल) के कॉलम में दर्शाए जाकर तद्नुसार श्रेणी निर्धारित की जानी चाहिए।

उदाहरणार्थ – जीव विज्ञान विषय में सैद्धांतिक प्रश्न–पत्र में पूरक योग्य परीक्षार्थी हेतु वार्षिक परीक्षा तक सैद्धांतिक प्रश्न पत्र के 150 पूर्णांक के समान प्रश्न–पत्र निर्मित किया जाकर पूरक सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्तांक तथा पूर्व में उत्तीर्ण जीव विज्ञान प्रायोगिक परीक्षा में वार्षिक परीक्षा तक पूर्णांक 50 में से प्राप्तांक का योग किया जाकर जीव विज्ञान के विषय योग (कुल) के कॉलम में प्रायोगिक व सैद्धांतिक प्राप्तांक के रूप में पृथक–पृथक दर्शाया जाकर श्रेणी निर्धारित की जाएगी।

(मूल परिपत्र का बिन्दु संख्या – 6)

4. प्रश्न–पत्र समाप्ति समय से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति :–

परीक्षार्थी द्वारा संपूर्ण प्रश्न–पत्र समय से पूर्व हल कर लिए जाने की स्थिति में उसे समय पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति अग्रांकित शर्ताधीन दी जा सकती है :–

I. यदि परीक्षा से सम्बन्धित विषय के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जाते हैं, तो ऐसे विषय की परीक्षा में निर्धारित समय से अधिकतम एक घण्टा पूर्व तक।

II. अन्य सभी विषयों में निर्धारित समय से अधिकतम आधा घण्टा पूर्व तक।

III. उपरोक्त दोनों स्थितियों में प्रश्न–पत्र को तद्दिवस परीक्षार्थी से लेकर सम्बन्धित वीक्षक द्वारा रख लिया जाएगा। आगामी कार्य दिवस को इस प्रश्न पत्र को परीक्षार्थी को लौटाया जा सकता है।

समस्त सम्बन्धितों द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/22497/2017–20/96 दिनांक : 18.03.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्., उदयपुर।
6. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
7. वरिष्ठ संपादक ''शिविरा'',प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी,समग्र शिक्षा अभियान ।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
12. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर ।
13. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. समस्त संस्था प्रधान–रामावि/राउमावि।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

राज.प्रा एंव मा शि संघ द्वारा प्रसारित

Scanned by CamScanner